WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MARCH 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; Fax: 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बैंक गारंटी पर कच्चे माल की सहायता
- करदाताओं को एक लाख रूपये तक की मिलेगी छूट
- टीडीएस कटने के बाद रिटर्न भरना जरुरी होगा
- आरबीआई ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया
- यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल
- चार किलोवाट के उपभोक्ताओं के मीटर की होगी एमआरआइ
- 30 दिन की समय सीमा में स्वीकृत होंगे कंपनियों के फार्म
- इन तरीकों से बंद करवाएं बिना उपयोग वाला क्रेडिट कार्ड
- स्वीकृत कॉलोनी में निर्माण को नहीं लेनी होगी एनओसी
- छह तरह के कर्ज सिबिल स्कोर के मोहताज नहीं
- MSME Minister Narayan Rane launches Rs 20 lakh scheme under CGTMSE for GST-exempted micro units
- Govt amends Rules to simplify new electricity connections, installation of rooftop solar power system
- Coal minister Joshi launches coal logistics policy for infra development
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बैंक गारंटी पर कच्चे माल की सहायता

13 फरवरी 2024 को चैम्बर में "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए उपयोगी एनएसआईसी योजनाएं एवं जेड योजनाओं" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अध्यक्ष डा० रामकुमार गुप्ता जी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि एमएसएमई क्षेत्र अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार एंव नीतिकारों ने एमएसएमई के उद्योगों की हर सम्भव सहायता करने की कोशिश की है। आप हमसे सहमत होंगे यदि एमएसएमई क्षेत्र कमजोर रहेगा तो उसका प्रभाव पूरे देश की आर्थिक स्थिती पर पड़ेगा।

एनएसआईसी दिल्ली से पधारे श्री संजय यादव डीजीएम ने बताया कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) भारत सरकार का उद्यम है और एमएसएमई उधोगों की प्रगति के लिए कार्य करती है। मि० यादव ने एनएसआईसी की विभिन्न योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए

बताया कि विपणन को व्यवसाय के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आज के प्रतिस्पर्धा के बाजार में एमएसएमई के विकास और अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण है। एनएसआईसी अपने विपणन प्रयासों में उद्योगों का समर्थन करती है जैसे कि एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत NSIC सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए इस योजना में उद्योगों का पंजीकृत करती है जिससे उद्योगों को टेंडर सेट निशुल्क मिलता है, अग्रिम धन जमा का भुगतान करने में छूट प्राप्त होती है, टेंडर मार्केटिंग के लिए कसोटिया सुविधा आदि। NSIC कच्चा माल सहायता स्कीम के तहत स्वदेशी और आयातीत कच्चे माल की खरीद पर वित्त व्यवस्था करने में एमएसएमई की मदद करती है जिससे उद्योग अच्छे उत्पादों का विनिर्माण करने में विशेष ध्यान दे पाते है। कच्चा माल सहायता स्कीम के अन्तर्गत कच्चे माल की खरीद करने के लिए 180 दिन तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे एमएसएमई को थोक खरीद, नकद आदि जैसी खरीदों के लिए आर्थिक सहायता का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

उद्योगों के लिए जेड स्कीम के बारे में बताते हुए श्री मुकुल गुप्ता ने बताया कि एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) सर्टिफिकेशन स्कीम एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा की एक कार्ययोजना प्रदान करती है। यह योजना MSME को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) को अपनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित करती है। इसमें प्रमाणन स्तर, पात्रता मानदंड और हितधारक भूमिकाओं को परिभाषित करना शामिल है। अपने क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को जेड प्रमाणीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। जेड प्रमाणन प्राप्त करके MSME अपने अपव्यय को काफी हद तक कम कर सकती है, उत्पादकता बढ़ा सकते है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते है एवं ऊर्जा बचा सकते है। योजना के प्रमाणीकरण की लागत पर विभिन्न संरचनाओं में सब्सिडी भी प्राप्त होती है

यस बैंक से पधारे श्री दीपक दूबे ने एमएसएमई के लिए बहुउपयोगी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। सेमिनार में विभिन्न संस्थानों से लगभग 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

करदाताओं को एक लाख रूपये तक की मिलेगी छूट

अंतरिम बजट में की गई घोषणा के तहत पुराने कर बकाया मांग मामले में हर करदाता को अधिकतम एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। आयकर विभाग ने कर छूट की सीमा निर्धारित कर दी है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.11 करोड़ करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें आयकर विभाग ने कर विवाद मामले में मांग नोटिस भेजा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने छोटी कर मांगों को वापस लेने की 2024-25 के अंतरिम बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए इस संबंध आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी, 2024 तक आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर से संबंधित बकाया कर मांगों को माफ करने को लेकर प्रति करदाता एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है। एक लाख रुपये की सीमा में कर मांग की मूल राशि, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर और अधिभार शामिल है।

....नहीं कर पाएंगे रिफंड का दावा

नांगिया एंडरसन इंडिया के पार्टनर मनीष बावा ने कहा, निर्देश स्पष्ट करता है कि यह छूट करदाताओं को 'क्रेडिट' या 'रिफंड' के किसी भी दावे का अधिकार नहीं देती है। यानी करदाता रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे। यह छूट करदाता के खिलाफ चल रही, नियोजित या संभावित आपराधिक कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी। किसी भी कानून के तहत कोई सुरक्षा नहीं देती है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में की थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण में आकलन वर्ष 2010-11 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये और आकलन वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक अधिकतम 10,000 रुपये की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को माफ करने की घोषणा की थी। इसमें शामिल कुल कर मांग 3,500 करोड़ रुपये है।

इन्हें नहीं मिलेगी छूट

सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक, आयकर अधिनियम के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) या टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) प्रावधानों के तहत टैक्स कटौती करने वालों या कर संग्रहकर्ताओं के खिलाफ की गई मांगों पर एक लाख रुपये की यह छूट लागू नहीं होगी।

डाटा का विश्लेषण कर विभाग चूक वाले मामलों का पता लगा रहा

टीडीएस कटने के बाद रिटर्न भरना जरुरी होगा

जिन करदाताओं ने टीडीएस कटने के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें जल्द ही आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। ऐसे मामलों में सख्ती करने की तैयारी की जा रही है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक टीडीएस कटने के बाद रिटर्न न जमा करने वाले ऐसे करदाताओं की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। विभाग केवल उन्हीं को नोटिस भेजेगा, जिनके बारे में उसके पास निश्चित जानकारी है।

आयकर विभाग के पास बड़ी मात्रा में डाटा मौजूद है, जिसकी मदद से वह गड़बड़ी का पता लगा पा रहा है। अगर करदाता से कोई ब्योरा भरने से रह गया है तो उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और रिटर्न को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। विभाग ने ऐसे 51 लाख अपडेटेड रिटर्न से अब तक 4600 करोड़ रूपये इकट्ठा किए है।

फॉर्म में अतिरिक्त विवरण देना होगा

हाल ही में मूल्यांकन वर्ष 2024- 25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म- 2, 3 और 5 जारी हुए हैं। हर वर्ग के लिए अलग- अलग फॉर्म है। जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख रूपये से ज्यादा है या जिनके पास एक से अधिक घर हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय अतिरिक्त विवरण देना होगा। ये जानकारी आईटीआर- 2 के तहत देनी होगी।

इसके लिए जरुरी

नए नियमों के तहत आईटीआर- 2 में आयकरदाताओं को क़ानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) का विवरण देना होगा। इसके तहत राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा, जिसमें भुगतान की तारीख और तरीका शामिल है। इसके आलावा दिव्यांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित भरण- पोषण के लिए दावा की गई किसी भी कटौती की जानकारी आदि शामिल है।

सेवा सुधारने पर ध्यान दे रहा है आयकर विभाग

विभाग का कहना है कि हमारा ध्यान रिफंड को कम करने से लेकर अपडेटेड रिटर्न या बड़े टैक्स विवाद को सुलझाने पर है, जिससे करदाता को मिलने वाली सेवाओं में सुधार हो सके। सीबीडीटी ने मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है, जहां एक करोड़ रूपये से ऊपर के कर विवादों को हल किया जा रहा है। यहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मूल्यांकन अधिकारियों और टैक्सपेयर्स को एक साथ रखा गया है, जो दोनों पक्षों से मूल्यांकन पर समझौते को हल करने और पहुंचने का प्रयास करते है।

आरबीआई ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया

लोन देने में बैंक मनमाने शुल्क नहीं वसूल पाएंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों द्वारा कर्ज देने के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंकों को कर्ज की कुल ब्याज दर और अन्य जरूरी शर्तों का पूरा मुख्य विवरण प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस विवरण में कर्ज देते समय लगने वाले अन्य शुल्कों को भी ब्याज दर में ही शामिल करना होगा। इससे बैंक मनमाने शुल्क नहीं वसूल पाएंगे बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।

मौद्रिक नीति समीक्षा समिति की बैठक के बाद इसे फैसले की जानकारी दी गई। बैंक द्वारा लोन लेने वाले व्यक्ति को उससे जुड़े शुल्कों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही इसमें कर्ज का प्रकार, ब्याज दर-फिक्स या फ्लोटिंग, शुल्क, भुगतान का तरीका, समय पूर्व भुगतान का शुल्क, विलंब शुल्क, विवाद निपटान फीस इत्यादि का उल्लेख होगा।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

नियम तोड़ने पर पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई

आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दान ने कहा कि पेटीएम ने बार- बार कहे जाने के बावजूद नियामकीय दिशा- निर्देशों का पालन नहीं किया। इस कारण कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई गई। दास ने यह भी साफ़ किया कि नियमों अनुपालन में पेटीएम की कमी व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम पैदा नहीं करती है।

यूरोपीय यूनियन को निर्यात करना होगा मुश्किल

कार्बन बार्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) के बाद यूरोपीय यूनियन (ईयू) अब वस्तु की बिक्री के लिए उस वस्तु के उत्पादन या निर्माण में जंगल की कटाई संबंधित जानकारी देने के नियम को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वस्तु के पैकेट पर क्यूआर कोड के जरिये इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि उस वस्तु का निर्माण या उत्पादन में किस हद तक जंगल की कटाई हुई है। इसके तीन स्तर होंगे। उच्च, मध्यम व निम्न। उच्चस्तर का मतलब होगा कि वस्तु के निर्माण में जंगल की कटाई काफी अधिक हुई है।

यूरोपीय यूनियन निम्न स्तर वाले उत्पादों की ही खरीदारी करेंगे। इस प्रकार के नियम के लागू होने पर भारत को यूरोप में अपनी वस्तुओं को बेचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इससे वस्तु निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन (ईयू) आगामी 26-29 फरवरी को अबूधाबी में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस 13 (एमसी13) में इस मामले पर चर्चा के पक्ष में है ताकि वैश्विक स्तर पर इस नियम पर एकमत बन सके। एमसी डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च समूह है। सूत्रों के मुताबिक भारत यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और डब्ल्यूटीओ एमसी13 की बैठक में भारत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं होगा। क्योंकि इससे अतिरिक्त नियम के पालन का बोझ बढ़ेगा और लागत बढ़ेगी। इससे निर्यात प्रभावित होगा। अंतिम वस्तु (फाइनल प्रोडक्ट) पर जंगल की कटाई की जानकारी के लिए पहले उस वस्तु के उत्पादन में इस्तेमाल अन्य सभी तत्वों के निर्माण में जंगल की कटाई के बारे में जानकारी जुटाना होगा।

वर्ष 2026 से अपने यहां सीबैम लागू करेगा यूरोपीय यूनियन

ईयू ने वर्ष 2026 से अपने यहां सीबैम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत वस्तु के निर्माण के दौरान कार्बन उत्सर्जन करने पर कार्बन टैक्स देना होगा। इससे स्टील, एल्युमिनियम जैसी वस्तुओं का निर्यात महंगा हो जाएगा, क्योंकि इनके उत्पादन में काफी अधिक कार्बन का उत्सर्जन होता है। इससे भारतीय उत्पाद यूरोप में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। हालांकि भारत ने इस प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए घरेलू स्तर पर ग्रीन स्टील व अन्य वस्तुओं के उत्पादन में ग्रीन ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है।

भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मांग सकता है फंड

सूत्रों के मुताबिक भारत यह नहीं कह रहा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लाए जा रहे नियमों का पालन नहीं करेंगे, लेकिन भारत ईयू व अन्य विकसित देशों को इस प्रकार के नियमों के पालन के लिए उनसे टेक्नोलाजी व फंड मुहैया कराने की मांग करेगा। डब्ल्यूटीओ की एमसी13 की बैठक में भारत इस प्रकार के रुख को अपना सकता है।

चार किलोवाट के उपभोक्ताओं के मीटर की होगी एमआरआइ

जनपद में तीन से चार किलोवाट तक के विधुत उपभोक्ताओं के मीटरों की रीडिंग एमआरआइ (मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट) की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन ने इसके निर्देश जारी किए है। वर्तमान में पांच से नौ किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के मीटरों की रीडिंग एमआरआइ से की जा रही है। नगरीय वितरण खंड में बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या 3.45 लाख है। इसमें पांच से नौ किलोवाट तक उपभोक्ताओं की संख्या 23 हजार और तीन से चार किलोवाट के 32 हजार है। एमआरआइ के माध्यम से उपभोक्ता कितनी देर अधिक लोड प्रयोग किया, फेज फाल्ट तो नहीं है, बिजली चोरी तो नहीं की है आदि की जानकारी हो जाती है। एक मीटर की रीडिंग में 15 से 20 मिनट लगते है। अधीक्षण अभियंता राजेंद्र बहादुर ने बताया कि

पांच से नौ किलोवाट के उपभोक्ताओं के मीटर की एमआरआइ कराने से बिलों की कमी पकड़ में आई है। उचित रीडिंग के बिल दिए गए है। यही प्रक्रिया अब तीन से चार किलोवाट के उपभोक्ताओं के लिए आरंभ की जाएगी।

अब 30 दिन की समय सीमा में स्वीकृत होंगे कंपनियों के फार्म

रजिस्ट्रार आफ कंपनीज में फाइल किए गए रिटर्न को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने के लिए परेशान होने वाली कंपनियों के लिए राहत भरी सूचना है। कारपोरेट अफेयर मंत्रालय ने अब कंपनियों के एक दर्जन फार्म पर समय सीमा लागू कर दी है। साथ ही इन फार्म को समय सीमा के अंदर ही प्रोसेस कर दिया जाए, इसके लिए अलग सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भी बना दिया गया हैं जिसने 16 फरवरी से काम भी शुरू कर दिया हैं।

अभी तक पूंजी बढ़ने, नाम बदलने, एकल व्यवसाय से सामान्य निजी कंपनी बनने, निजी से सार्वजनिक या सार्वजनिक से निजी कंपनी बनने जैसे एक दर्जन कार्यों के आवेदन पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने का कार्य रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के कार्यालय में होता था। इस कार्यालय में कार्य का बोझ काफी अधिक होने की वजह से इसमें कई बार काफी समय लग जाता था। इसके साथ ही इसे कितने दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत करना है, इसकी भी कोई सीमा नहीं थी। अब इसे देखते हुए हरियाणा के मानेसर में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है। कंपनियां अब भी अपने सभी फॉर्म ऑनलाइन ही भेजेंगी लेकिन सिस्टम इन फार्म को रजिस्ट्रार आफ कंपनीज को भेजने की जगह सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को भेजेगा। वहीँ से 30 दिन के अंदर कंपनियों को स्वीकृति या अस्वीकृति का संदेश आ' जाएगा।

इन तरीकों से बंद करवाएं बिना उपयोग वाला क्रेडिट कार्ड

आजकल क्रेडिट कार्ड हासिल करना जितना आसान हो गया है, उसे बंद करवाना उससे मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए नियम तय किए हैं, जिसे सभी बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए मानना आवश्यक है। जिन लोगों के पास बार एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, वे उसे आसानी से बंद करवा सकते हैं। ऐसा करने की प्रक्रिया बहुत आसान है और कार्ड धारक अनावश्यक फ़ीस और शुल्क देने से भी बच सकता है।

आरबीआई के नियम: आरबीआई नियमों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करना होगा। यह सात दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए, बशर्ते ग्राहक ने सभी बकाया का भुगतान किया हो।

बैंकों की जिम्मेदारी: कंपनियों के लिए कार्ड बंद करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कार्डधारकों को कई विकल्प प्रदान करना अनिवार्य है। इसके तहत ईमेल- आईडी, हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप आदि उपलब्ध कराना जरुरी है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

कार्ड बंद करवाने के ये चार तरीके

1. **हेल्पलाइन नंबर:** कार्ड धारक संबंधित बैंक के क्रेडिट कार्ड ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर इसके लिए अनुरोध कर सकता है। अनुरोध स्वीकार होने पर बैंक मैसेज या कॉल से सूचित करेगा।
2. **ईमेल:** इसके लिए सभी दस्तावेज के साथ क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए ईमेल कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद बैंक सूचित करेगा। ईमेल पता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है।
3. **ऑनलाइन अनुरोध:** इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर्म भरना होगा और अनुरोध सबमिट करना होगा। अनुरोध जाने के बाद बैंक का प्रतिनिधि पुष्टि के लिए कॉल करेगा।
4. **डाक के जरिए:** इस प्रक्रिया में ग्राहक को अपना क्रेडिट कार्ड दो टुकड़ो में काटकर बैंक के पते पर भेजना होता है। बैंक इसकी पुष्टि करेगा। ध्यान रखे बैंक इस तरीके के लिए ग्राहक को बाध्य नहीं कर सकता है।

स्वीकृत कॉलोनी में निर्माण को नहीं लेनी होगी एनओसी

मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कॉलोनी में अब भवन निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत को औपचर्कताओं से राहत दे दी गई है। नए बिल्डिंग बाईलॉज को मेडा ने अंगीकृत कर लिया है। ऐसे में स्वीकृत कॉलोनी में भवन निर्माण करने पर नक्शा पास करने के लिए अन्य विभागों की अनापत्ति लेने की आवश्यकता नहीं होगीं।

मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि अभी तक ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे, जिनमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हुए भूखंड स्वामी को बहुत वक्त बीत जाता था। मेडा उपाध्यक्ष ने बताया कि नए बिल्डिंग बाईलॉज को बोर्ड बैठक के बाद अंगीकृत कर लिया गया है । मेडा से कॉलोनी स्वीकृत कराने के लिए डवलपर को ले -आउट फाइनल कराना होता है। कॉलोनी में सड़क, नाली , पेयजल आपूर्ति आदि बुनिया दी सुविधाएं देनी होती हैं। इसके लिए

विभिन्न विभागों की ओर से अनापत्ति उसके द्वारा जमा की जाती है। जबकि भवन निर्माण के चलते नक्शा पास करने को भवन स्वामी को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। उन्हें नक्शा स्वीकृत कराने के लिए विभागों की अनापत्ति नहीं दे देनी होगी।

- नए बिल्डिंग बाईलॉज को किया अंगीकृत
- अन्य विभागों से नहीं लेनी होगी अनापत्ति

छह तरह के कर्ज सिबिल स्कोर के मोहताज नहीं

यदि आप अभी भी ख़राब क्रेडिट स्कोर के कारण पर्सनल लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो बैंक अथवा एनबीएफसी से सुरक्षित कर्ज लेने पर विचार कर सकते हैं। इस तरह के लोन में बैंक और एनबीएफसी जोखिम कम होता है, क्योकि अगर आवेदक कर्ज नहीं चुका पाता है तो वह आवेदक द्वारा जमा किए गए सामान या सिक्योरिटी को बेचकर भरपाई कर सकता है। इसके चलते वित्तीय संस्थाएं क्रेडिट स्कोर पर कम जोर देती है।

कम रकम के लिए करें अप्लाई: ख़राब सिबिल होने के कारण कोई भी लोन देने वाली संस्था आपको जोखिम भरा ग्राहक मान सकती है, इसीलिए जरुरी है कि लोन की रकम कम हो। अच्छा सिबिल स्कोर बनाने के लिए आप कम राशि का विकल्प चुन सकते हैं और इसे नियमित रूप से चुका सकते हैं। यह आपकी सिबिल को सही करेगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

सह- आवेदक के साथ आवेदन करें: कम सिबिल स्कोर होने पर परिवार के किसी कमाने वाले सदस्य को सह- आवेदक बनाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे वित्तीय संस्थाओं के लिए जोखिम कम हो जाता है, इस स्थिति में सह- आवेदक भी लोन का भुगतान करने को उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि आप। इसलिए अच्छे क्रेडिट स्कोर और पर्याप्त मासिक आय वाले सह- आवेदक को जोड़ने से लोन मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

जैसा सह- आवेदकों के मामले में होता है, लोन गारंटर जोड़ने से भी वित्तीय संस्थाओं के लिए जोखिम कम हो जाता है क्योंकि अगर प्राथमिक लोन आवेदक और सह- आवेदक (यदि कोई हो) लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में गारंटर भी लोन भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है।

ब्याज और शुल्क: बिना सिबिल स्कोर के लोन के लिए हर बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ब्याज दर अलग- अलग हो सकती है। यह आवेदन की स्थिति और पात्रता के अनुसार तय होती है। यह ब्याज दर 18 से लेकर 35 फीसदी तक हो सकती है। इसके साथ ही प्रक्रिया शुल्क 2% से 3% तक अलग देय हो सकता है।

1. **गोल्ड लोन**

   गोल्ड लोन एक तरह का सुरक्षित कर्ज होता है। इसमें आप अपने सोने को जमानत के रूप में रखते हैं। इसकी सबसे अहम बात यह होती है कि इसमें कागजी कार्रवाई न के बराबर होती है और बैंक इसे देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक नहीं करते है। इसमें आपके सोने के वर्तमान कीमत का 75 फीसदी तक लोन मिल सकता है।

2. **एफडी के बदले**

   अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस एफडी भी इसमें मददगार साबित हो सकती है। सोने के बाद आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए सबसे जल्द और आसानी से लोन ले सकते हैं। आम तौर पर इसकी ब्याज दरें फिक्स्ड डिपॉजिट की जमा दरों की तुलना में एक या दो फीसदी अधिक होती हैं।

3. बीमा पॉलिसी के एवज में भी मिलेगा

अगर आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है तो इस पर भी लोन ले सकता हैं। इसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन की तुलना में कम होती है। इस तरह के कर्ज में बीमा पॉलिसी को बैंक के नाम असाइन करना होता है। अगर आप कर्ज चुका देते हैं तो बैंक वापस आपके नाम पॉलिसी को री- असाइन कर देता है

4. प्रॉपटी लोन

जिनके पास आवासीय, व्यावसायिक या औधोगिक प्रॉपर्टी होती है, वे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके लिए ब्याज दर लगभग 7.35% से शुरू होती है और लोन अवधि 15 वर्ष तक होती है। हालांकि, कुछ बैंक/ लोन संस्थान 20 साल तक की अवधि भी ऑफर करते हैं। लोन राशि प्रॉपर्टी के मूल्यांकन पर निर्भर होती है।

5. शेयर- म्यूचुअल फंड पर लोन

म्यूचुअल फंड, शेयर डिबेंचर, ईटीएफ आदि में निवेश करने वाले आवेदक उन्हें सिक्योरिटी के रूप में जमा करके लोन प्राप्त सकते हैं। इन सिक्योरिटी पर दी जाने वाली लोन राशि बैंक द्वारा निर्धारित उनके लोन टू वैल्यू रेश्यो पर निर्भर करती है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

6. **मासिक आय के आधार पर**

ज्यादातर लोन देने वाली संस्थाएं आपके सिबिल स्कोर के साथ साथ आपके वर्तमान वेतन या इनकम के जरिए जैसी अन्य बातों पर भी विचार करती हैं। यदि आपके पास कम क्रेडिट रेटिंग है, तो आप अभी भी अपने वेतन, सालाना बोनस या अन्य अतिरिक्त इनकम स्त्रोतों में बढ़ोतरी के प्रमाण के साथ बैंक स्टेटमेंट दे सकते है। यह साबित करता है कि आप समय पर लोन चुकाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

अगर कारोबार के लिए लेना हो लोन

वित्तीय स्थिति की समीक्षा

खराब क्रेडिट स्कोर के बावजूद व्यापारिक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। जैसे व्यापार की प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक आय, नकद निर्वहन और अन्य वित्तीय विवरण । वित्तीय संस्थाओं को इसके माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा और कारोबारिक योग्यता का अंदाजा होगा।

संभावित गारंटी का प्रस्ताव

खराब क्रेडिट स्कोर के बावजूद व्यापारिक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी र्वचाहिए। जैसे व्यापार की प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक आय, नकद निर्वहन और अन्य वित्तीय विवरण। वित्तीय संस्थाओं को इसके माध्यम से आपकी प्रतिष्ठा और कारोबारिक योग्यता का अंदाजा होगा।

निजी ऋणदाताओं की खोज

अगर वित्तीय संस्थाएं आपको बिजनेस लोन नहीं दे रही हैं तो निजी ऋणदाताओं की खोज कर सकते हैं। ये ऋणदाता अक्सर लघु व्यापारों या क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और क्रेडिट स्कोर बजाय आपके व्यापार की संचालन क्षमता पर ध्यान देते हैं।

संपर्क करे और सलाह लें

यदि आपके पास खराब क्रेडिट है और आप बिजनेस लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप वित्तीय संस्थाओं के संपर्क में रहे और उनसे सलाह लें। आपको उन्हें अपने व्यापार के बारे में सटिक और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और उनके द्वारा सुझाए गए लोन विकल्पों की जांच करनी चाहिए।

इन संस्थानों से मिल सकता है कर्ज

नॉन - बैंकिंग वित्तीय कपनियां (एनबीएफसी)

यदि आपका सिबिल स्कोर ख़राब है और आपको पैसों की तुरंत जरुरत हैं तो बैंक के बजाए एनबीएफसी से लोन लेने के लिए आवेदन करना ठीक रहेगा। क्यूंकि वे कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन देती है।

संगठित बैंक

ख़राब क्रेडिट वाले लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन कुछ बैंक विशेष ऋण योजनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए, स्थानीय बैंक से संपर्क कर विशेष ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सहकारी संगठन

सहकारी संगठनों द्वारा उद्यमियों को व्यापार लोन मिलने में सुविधा हो सकती है। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। आप अपने स्थानीय सहकारी संगठनों से संपर्क करें और उनकी व्यापार ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

इन बातों का रखें ध्यान

कितना सिबिल स्कोर जरुरी

सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है | 750 से ऊपर का स्कोर बेहतर होता है। 550 से लेकर 750 के बीच का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है जबकि 550 से नीचे का सिबिल स्कोर बहुत ही खराब माना जाता है। इसलिए इस स्तर के लोगों को लोन नहीं मिल पता है।

हर छह माह में जरूर जांचे

कई बार बैंक की गलती से भी सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए जरुरी है कि हर छह महीने में एक बार स्कोर जरूर जांचे। जब आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तब भी क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है इसको सही करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

ऐसे सुधारें सिबिल स्कोर

- अपने सभी पुराने बिलों का भुगतान कर दें।
- उपयोग न होने वाले क्रेडिट कार्ड और खाते बंद कर दें
- एक समय पर बहुत से बैंकों में लोन के लिए आवेदन न करें
- अपने लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का भुगतान समय से पहले करें
- जिन पर विश्वास न हो उनके साथ किसी लोन में गारंटर न बने

MSME Minister Narayan Rane launches Rs 20 lakh scheme under CGTMSE for GST-exempted micro units

According to the circular pertaining to the scheme issued by CGTMSE to all its member lending institutions (MLIs) on February 14, up to 85 per cent guarantee cover will be provided to lenders for unsecured loans up to Rs 20 lakh to IMEs registered on the Udyam portal.

To enable IMEs register with the Udyam portal and get access to priority sector lending (PSL) benefits, the government under its MSME formalisation project had launched the Udyam Assist Platform in January last year. (Image: PIB)

MSME Minister Narayan Rane on Wednesday launched a special scheme for informal micro enterprises (IMEs), which are exempted from the Goods and Services Tax (GST) regime, to access collateral-free loans up to Rs 20 lakh under the government's Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

The scheme 'Special Provision for Informal Micro Enterprises under Credit Guarantee Scheme' enables micro or nano enterprises with credit support from lenders and aims "at moderating the credit risk perception," the MSME Ministry said in a statement.

According to the circular pertaining to the scheme issued by CGTMSE to all its member lending institutions (MLIs) on February 14, up to 85 per cent guarantee cover will be provided to lenders for unsecured loans up to Rs 20 lakh to IMEs registered on the Udyam portal.

CGTMSE hits Rs 1 lakh cr MSME loan guarantee mark in 7 months of current fiscal

“The special provisions are intended to meet the requirements of the demand side as well as supply side. Member Lending Institutions are expected to lend more resulting in increased credit flow to IMEs in MSE sector,” the circular read.

Launched back in 2000, CGTMSE, which offers guarantees to lenders for collateral-free loans to micro and small enterprises (MSEs), had recently surpassed Rs 1.50 lakh crore worth of guaranteed amount in the current financial year in comparison to Rs 1.04 lakh crore in FY23, increasing sharply by 50 per cent, as per the MSME Ministry.

Importantly, the finance minister Nirmala Sitharaman in her budget 2023 speech had announced a Rs 9,000 crore fund infusion in the CGTMSE corpus to enable additional collateral-free credit of Rs 2 lakh crore to MSMEs and to reduce the cost of credit by 1 per cent.

At the time of filing this report, nearly 1.41 crore IMEs were registered on the Udyam portal out of the total 3.74 crore registered MSMEs.

To enable IMEs register with the Udyam portal and get access to priority sector lending (PSL) benefits, the government under its MSME formalisation project had launched the Udyam Assist Platform in January last year.

UAP was initially discussed in a report by the standing committee on finance headed by Jayant Sinha, Member of Parliament and former Minister of State for Finance in April 2022. The intent was to also seamlessly connect IMEs to the fast-emerging digital ecosystem including platforms like GeM, TReDS, other digital marketplaces, etc.

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

Govt amends Rules to simplify new electricity connections, installation of rooftop solar power system

The amendments empower consumers living in multistoried apartments in choosing their connection type and ensure separate billing for common areas and back-up generators in residential societies, thus enhancing transparency.

The Union government has approved amendments to the Electricity (Rights of Consumers) Rules 2020. Giving a brief on the amendments, the Union Minister for Power and New & Renewable Energy RK Singh stated that these amendments further reduce the timeline for getting new electricity connections and that they simplify the process of setting up rooftop solar installations.

The minister informed that the amendments empower consumers living in multistoried apartments in choosing their connection type and ensure separate billing for common areas and back-up generators in residential societies, thus enhancing transparency. The amendments also provide for check meters to be installed by distribution company in case of consumer complaints, to verify electricity consumption.

Facilitating easier and faster installation of rooftop solar systems
Amendments have been made in the Rules, to facilitate faster installation and enhance the ease of setting up rooftop solar PV systems at the premises of consumers.

Exemption has been given for the requirement of technical feasibility study, for systems up to a capacity of 10 kW. For systems of capacity higher than 10 kW .. the timeline for completing the feasibility study has been reduced from 20 days to 15 days. Further in case the study is not completed within the stipulated time, the approval will be deemed to have been given.

Additionally, it has now been mandated that the distribution system strengthenin necessary for rooftop solar PV systems up to 5 kW capacity will be done by the distribution company at its own cost.

Further, the timeline for the distribution licensee to commission rooftop solar PV systems has been reduced from 30 days to 15 days.

Separate connections for electric vehicle charging stations

Consumers can now obtain separate electricity connections for charging their electric vehicles (EVs).

This aligns with the country's goal of reducing carbon emissions and reaching Net Zero by the year 2070.

New connections and change in existing connections to be obtained faster. The time period for obtaining a new electricity connection under the Rules has been reduced from seven days to three days in metropolitan areas, from 15 days to seven days in other municipal areas, and from 30 days to 15 days in rural areas. However, in rural areas with hilly terrain, the time period for new connections or for modifications in existing connections will remain 30 days.

Additional rights for consumers in residential colonies and flats

Provisions have been introduced in the Rules, to enhance consumer choice and promote greater transparency in metering and billing.

Owners residing in co-operative group housing societies, multi-storied buildings, residential colonies, etc will now have the option to choose from the distribution licensee either individual connections for everyone or a single-point connection for the whole premises. The exercise of the option will be based on a transparent ballot to be conducted by the Distribution Company. Parity has also been brought in the tariff charged to consumers who get electricity supplied through single-point connection and to those who avail of individual connections.

Metering, billing, and collection will be done separately for individual electricity consumption sourced from the distribution licensee, individual consumption of backup power supplied by the residential association, and electricity consumption for common areas of such residential associations, which is sourced from the distribution licensee.

STAG INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

Mandatory additional meter in cases of complaints

In cases where consumers raise complaints about meter reading not aligning with their actual electricity consumption, the distribution licensee is now required to install an additional meter within five days from the date of receipt of the complaint. This additional meter will be used to verify the consumption for a minimum period of three months, thus reassuring consumers and ensuring accuracy in billing.

The minister stated that the interest of consumers is paramount for the government. It is for this purpose that the government issued the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 on 31st December, 2020, thus setting standards for services provided by electricity distribution companies all over India. These rules cover aspects such as billing, complaints, compensation and timelines for new connections. They also offer support for renewable energy generation by prosumers. The Power and New & Renewable Energy Minister stated that the present amendments will further empower the consumers.

Coal minister Joshi launches coal logistics policy for infra development

The coal ministry is building an AI-powered dedicated logistics platform for the fossil fuel which would integrate all the existing central and state-level coal transport tracking systems

He said the approach under the new plan would minimize air pollution, alleviate traffic congestion, and reduce carbon emissions by approximately 100,000 tonnes per annum

Aiming at transporting coal seamlessly across the country, the Union Ministry of Coal has drafted a logistics plan and policy in consultation with all stakeholders in the supply chain.

The plan, called “Coal Logistics Plan and Policy” and unveiled by Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs Pralhad Joshi on Thursday, will bring together all agencies involved in mining, transport, monitoring, and usage on a single digital “smart” platform.

“There is a need for efficient logistics to meet the escalating energy demand projected to surge to 1.5 billion tonnes by 2030 from 980 million tonnes currently. The plan proposes a strategic shift to a railway-based system in first-mile connectivity projects, aiming at a 14 per cent reduction in rail logistics costs and an annual cost saving of Rs 21,000 crore,” Joshi said during the launch.

He said the approach under the plan would minimise air pollution, reduce traffic congestion, and cut carbon emission by approximately 100,000 tonnes per annum. Moreover, a 10 per cent saving in average turnaround time of wagons nationwide is expected, the minister said.

The ministry is building an artificial intelligence-powered dedicated logistics platform for the fossil fuel, which would integrate all the existing central and state-level coal transport tracking systems. The Smart Logistics Plan will entail tracking, managing and forecasting coal demand and supply from production to consumption, Business Standard reported in January.

The other stakeholders that are part of the planning include the Ministry of Railways; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Coal India; NTPC; NITI Aayog; and private coal miners.

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

Amrit Lal Meena, secretary, Ministry of Coal, said as part of the plan there were proposals for extensive energy corridor projects, including constructing railway lines and capacity augmentation in existing lines.

"Coal is integral to India's energy security and economic growth. I urge all the stakeholders to work in close coordination to ensure easy access to coal to everyone," Meena said.

Transport remains one of the crucial issues in building enough coal stocks for thermal power units. In 2022, several power units reported critically low coal stocks and the railways had to stop and divert some passenger trains to run more coal-carrying rakes. Last year, the situation improved with the Centre promoting the rail-sea-rail route through inland waterways.

Action plan under new logistics plan:

- New rail lines and capacity enhancement of existing lines
- More Coal sidings, first mile connectivity projects, belt conveyor projects
- Emphasis on rail-sea-rail routes for coal transport
- Smart Coal Analytics Dashboard
- Multimodal transport and its tracking
- Data driven 'Decision Support System'

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX